इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 329] भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 अगस्त 2015—श्रावण 26, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2015

क्र. एफ-24-3-2015-एक-10.—यतः, दिनांक 03 अगस्त, 2015 को श्री धर्मेन्द्र कुशवाह पुत्र श्री मोहन सिंह कुशवाह, निवासी गोसपुरा नं.-2 मानमंदिर टाकीज के पास, ग्वालियर की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो गई;

2. और, यतः, राज्य सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित विषयों में जांच किये जाने के प्रयोजन के लिये एक जांच आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक है, अर्थात्:—

(एक) क्या श्री धर्मेन्द्र कुशवाह, पुत्र श्री मोहन सिंह कुशवाह, गोसपुरा नं.-2, मानमंदिर टाकीज के पास ग्वालियर, को गिरफ्तार किया गया था? यदि हां तो किस अपराध में?

(दो) श्री धर्मेन्द्र सिंह कुशवाह, पुत्र श्री मोहन सिंह कुशवाह, निवासी ग्वालियर की मृत्यु किन परिस्थिति में हुई और उसके कारण.

(तीन) घटना से आनुषंगिक अन्य विषय, जिन्हें कि आयोग उचित समझे.

(चार) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के संबंध में सुझाव.

3. अतएव, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, एकल सदस्य अर्थात् श्री सी. पी. कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर से मिलकर बनने वाला एक जांच आयोग सार्वजनिक महत्व के उपर्युक्त विषयों की जांच हेतु नियुक्त करती है.

4. आयोग का मुख्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश में होगा.

5. आयोग अपनी जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा.

No. F. 24(3)-2015-I-10.—Whereas on 3rd August, 2015, Shri Dharmendra Kushwah S/o Shri Mohan Singh Kushwah resident of Gouspura No. 2 near Manmandir Talkies, Gwalior was died in police firing.

2. And whereas, the State Government is of the opinion that it is necessary to appoint a commission of inquiry for the purpose of making an inquiry into the following matters of public importance, namely:—

(1) Whether Shri. Dharmendra Kushwah S/o Shri Mohan Singh Kushwah, Gouspura No. 2, near Manmandir Talkies Gwalior was arrested? If yes, then under which offence?

(2) Under which circumstances the death of Shri Dharmdendra Kushwah S/o Shri. Mohan Singh Kushwah resident of Gwalior was caused and its reasons.

(3) Other matters which the Commission may think proper as incidental to the incident.

(4) Suggestions regarding prevention of recurrence of such Incidents in future.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (No. 60 of 1952), the State Government, hereby appoints a Commission of Inquiry Consisting of a single member, namely Shri. C. P. kulshreshtha retired Additional District and Sessions Judge to enquire into the aforesaid matters of public importance.

4. The headquarter of the Commission shall be at Gwalior, Madhya Pradesh.

5. The Commission shall complete its inquiry and submit its report to the State Government within three months from the date of publication of this Notification.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.